न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 39/2026

श्री भरतलाल जाट निवासी परासिया पोस्ट लाम्बा तहसील व जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय   दिनांक 13.05.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 156 दिनाक 23.02.2026 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

जिला कलेक्टर कार्यालय, टोंक की सतर्कता शाखा द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2026 एवं 5 फरवरी 2026 को निवाई उपखंड अधिकारी को कृषि सचिव के विरुद्ध जांच कार्यवाही हेतु पत्र जारी किए गए थे। अतः निम्न जानकारी प्रदान की जाए –

1. उक्त दोनों आदेशों के दर्ज क्रमांक (डायरी रजिस्टर क्रमांक) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।
2. उक्त प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख, पत्राचार एवं नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 699 दिनांक 07.04.2026, 739 दिनांक 16.04.2026 व 941 दिनांक 30.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 407 दिनांक 7.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र क्रमांक 406 दिनांक 05.05.2026 से अपीलान्ट को सूचना प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

842